रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2012/आषाढ़ 28, 1934

No. 370] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2012/ASADHA 28, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

सं. 37/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 579(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, यूरोपियन संघ, साऊथ अफ्रीका, सिंगापुर और यूएसए, में मूलत: उदगमित या वहां से निर्यातित 'एसीटोन' जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 33/2008-सीमा-शुल्क, तारीख 11 मार्च, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 174(अ) तारीख 11 मार्च, 2008 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत अधिसूचना सं. 15/1/2012-डीजीएडी, तारीख 1 जून, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 15 जून, 2012 के द्वारा प्रकाशित, प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 33/2008-सीमा-शुल्क, तारीख 11 मार्च, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 174(अ), तारीख 11 मार्च, 2008 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, अंत में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"3. यहां निहित ऊपर कुछ भी होते हुए, यह अधिसूचना, जब तक कि पहले विखंडित न किया जाये, 18 जून, 2013 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी"।

[फा. सं. 354/65/2007-टीआरयू (पार्ट 1)]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

No. 37/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 579(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/1/2012-DGAD, dated the 15th June, 2012, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 15th June, 2012, had initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles

and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Acetone', originating in, or exported from, European Union, South Africa, Singapore and USA imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 33/2008-Customs, dated the 11th March, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 174(E), dated the 11th March, 2008 and had requested for extension of anti-dumping duty upto one more year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 33/2008-Customs, dated the 11th March, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 174(E), dated the 11th March, 2008, namely :—

In the said notification, at the end, the following shall be added, namely :—

"3. Notwithstanding anything contained herein above, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 18th day of June, 2013, unless revoked earlier".

[F. No. 354/65/2007/TRU (Pt-I)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.